डीजी–परिपत्र संख्या–45/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक :लखनऊः दिसम्बर 24, 2020

विषयः–विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले सकिय अपराधियों के विरूद्ध कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश में अराजक तत्वों संगठित/सकिय अपराधियों, समाज विरोधी कियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों पर नियन्त्रण रखने तथा उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्धेश्य से मुख्यालय स्तर से समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रदेश में घटित संवदेनशील घटनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में निर्गत निर्देशों का आप एवं आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन नही किया जा रहा है। विशेष रूप से उल्लेख करना है कि घटित घटनाओं के प्रति वरिष्ठ अधिकारियों की गम्भीरता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और समय व्यतीत होने के पश्चात इन घटनाओं के अनावरण की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष एवं निचले स्तर पर छोड़ दी जाती है जिसके फलस्वरूप अपराधियों के विरूद्ध कठोर एवं समुचित कार्यवाही किये जाने के सार्थक प्रयास नही किये जाते हैं।

आप सहमत होगें कि सकिय अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही न किये जाने से जहॉ समाज के लोगों में भय का माहौल रहता है वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियॉ उठती हैं तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश भी नहीं लग पाता हैं। इस परिदृश्य में बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता है। यह उद्धेश्य सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कराये जाने से प्राप्त होगा। इसकी पूर्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही किये जाने हेतु कुछ बिन्दु अनुवर्ती प्रस्तरों में सुझाये जा रहें हैः–

➢ **अपराधियों के अपराधिक इतिहास का संकलन–**

- प्रत्येक थाना स्तर पर विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले अपराधियों का अपराधिक ब्यौरा तैयार किया जाये, इसमें थाना क्षेत्र के अतिरिक्त वाह्य पंजीकृत हुए अभियोगों को भी सम्मिलित किया जाये।

➢ **विस्तृत अपराधिक इतिहास में सक्रिय अपराधियों की सूची–**

- विस्तृत अपराध वाले अपराधियों के तैयार अपराधिक इतिहास का गहराई से परीक्षण कर व अन्य श्रोतों से जानकारी कर ज्ञात किया जाये कि इसमें कौन–कौन अपराधी सक्रिय हैं।
- अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त व सक्रिय अपराधियों की अलग से सूची/रजिस्टर बनाया जाये।

➢ **थाना क्षेत्र के सीमावर्ती थानों/जनपदों से जानकारी–**

- स्थानीय थानें के अतिरिक्त सीमावर्ती थानों/जनपदों से भी अपराधी की सक्रियता के बारें में जानकारी की जाय। कुछ अपराधी स्थान बदल–बदल कर अपराध करते रहते है।

1/

- जिस जनपद में अपराधी अधिक आता–जाता हो, जहॉ उसकी रिश्तेदारियॉ हो अथवा कोई रोजगार या नौकरी करता हो तथा वहॉ अपराधिक कृत्य में लिप्त हो, आदि के सम्बन्ध में विधिवत जानकारी की जाये।

➢ **अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही–**

- विस्तृत अपराधिक इतिहास के आधार पर सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार कर, उन्हे पुलिस रेगुलेशन के अध्याय–20 में वर्णित विहित रीति के अनुसार सघन निगरानी की जाये।
- सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए गुण्डा, गैगेस्टर, एनएसए की कार्यवाही एवं हिस्ट्रीशीट खुलवाये जाने, गैंग पंजीकरण, व अन्य अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस व जमानत निरस्तीकरण आदि कार्यवाही भी की जाये।
- सक्रिय अपराधी जो वॉछित/फरार चल रहे हैं ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु यथोचित पुरस्कार घोषित कराते हुए कार्यवाही करायी जाये।

➢ **कुख्यात व अधिकारिता क्षेत्र के बाहर के अपराधी–**

- आधिकारिता क्षेत्र से बाहर के अपराधियों के सम्बंध में उसके मूल निवास के थाना/जनपद से भी सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाय। अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्जीय दुर्दान्त सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं अपराधियों से सम्बन्धित सूचना तथा धारा–55 द0प्र0सं0 की कार्यवाही में एस0टी0एफ0/एस0टी0एस0/ एस0सी0आर0बी0 आदि से वॉछित सहयोग लिया जाये।

➢ **कार्यवाही के मुख्य बिन्दु–**

- अपराधिक इतिहास का संकलन।
- सक्रिय अपराधियों के बारे में पुष्टि।
- अपराधी से सम्बंधित सम्पूर्ण डाटा तैयार करना।
- सम्पूर्ण विवरण तैयार कर डीसीआरबी में रखना।
- अपराधियों की अपराधवार श्रेणी तैयार करना।
- गैंग के सह अपराधियों के बारे में जानकारी कर कार्यवाही।
- क्रियाशील अपराधियों के रिजस्टर में अंकन।
- अपराधियों की सघन निगरानी एवं कार्यवाही।
- बीट सूचना अंकित कराना व बीट सूचना रजिस्टर में अंकन।
- जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही।
- गुण्डा,गैगेस्टर,रा0सु0का0 एवं अन्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्यानुसार कार्यवाही।
- 110 'जी' द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही।
- अन्य प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही।
- हिस्ट्रीशीट खुलवाने की कार्यवाही।
- यदि गैंग का सरगना या सदस्य है तो गैंग पंजीकरण की कार्यवाही।

- गैंगेस्टर अधि0 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही।
- अपराधियों/अपराधिक सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही।
- अपराधीवार डोजियर तैयार किए जाने की कार्यवाही।

➢ **सकिय अपराधियों के संबंध गें संकलित की जाने वाली सूचना का प्रारूप :–**

क0 सं0	थाना	अपराधी का नाम व पता	अपराधी के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण (अपराधिक इतिहास)	वर्तमान स्थिति जेल/जमानत/फरार	एच.एस. नं0 /गैंग पंजीकरण सं0	अपराधी के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	सकिय अपराधियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही	क्या अपराधी सकिय है ?	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

➢ **सकिय अपराधियों की सूची एवं कृत कार्यवाही के विवरण का रखरखाव एवं पर्यवेक्षणः–**

- जनपदों के थानों से तैयार की गयी विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले सकिय अपराधियों की सूची का जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिक परीक्षण के उपरान्त अद्यावधिक स्थिति में तैयार कराकर कृत कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।
- ऐसे सकिय अपराधियों की अद्यतन सूची पुलिस आयुक्त कार्यालय/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखी जायेगी तथा योजनाबद्ध तरीके से अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- ऐसे सकिय अपराधियों के विरूद्ध समस्त कार्यवाही पुलिस उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 15, 19, 20, 21, 22 एवं 23 में अपराधों के रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही में वर्णित विहित रीति के अनुसार की जायेगी।
- इस कार्ययोजना का प्रयोजन सकिय अपराधियों को अपराधिक गतिविधियों सें पृथक रखना तथा उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर अपराध पर पूर्ण नियन्त्रण लाना होगा।
- कार्ययोजना की प्रत्येक कार्यवाही में अनुमोदन कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर से किया जायेगा। जिसका पर्यवेक्षण परिक्षेत्र व जोन एवं आयुक्त स्तर पर किया जायेगा।
- ऐसे सकिय अपराधियों की अद्यतन सूची पुलिस आयुक्त व जोनल अपर पुलिस महानिदेशक स्तर से पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को उपलब्ध करायी जायेगी। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा सूची का परीक्षण करते हुए प्रदेश की कृत कार्यवाही सम्बन्धित आख्या को अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध को प्रत्येक माह उपलब्ध करायेंगें।

➢ **नोडल अधिकारी–**

विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले सकिय अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं जनपद स्तर पर किसी राजपत्रित अधिकारी को **"नोडल आधिकारी"** नामित किया जाये, जो समस्त कार्यवाही पूर्ण करायेंगे। प्रत्येक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का होगा।

मै आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी इन निर्देशों का शुद्ध अन्तःकरण से पालन करते हुए अपने अधीनस्थों से इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें जिससे सक्रिय अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने का प्रभाव धरातल पर मूर्त रूप ले सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0।